न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 32/2016

बउनवान

सत्यनारायण आयु 35 साल पुत्र श्री केशरीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पचेल खुर्द तहसील अन्ता जिला बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कंवरलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र कंवरलाल
3. रमेशीबाई बेवा माधोलाल
4. गजानंद पुत्र माधोलाल जातिगण रैगर निवासीगण पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
5. रामप्यारीबाई पुत्री माधोलाल पत्नि महेन्द्र जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द हाल निवासी मण्डावरा जिला कोटा (राज.)
6. मनभर पुत्री माधोलाल पत्नि राजेन्द्र जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां (राज.)
7. कृष्णा पुत्री माधोलाल पत्नि राजेन्द्र जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां (राज.)
8. भूली बाई पुत्री माधो लाल पत्नि रामदेव जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां (राज.)
9. बद्री बाई बेवा औंकारलाल जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
10. मुरारीलाल पुत्र औंकारलाल जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
11. विनोद पुत्र औंकारलाल जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
12. सुनीता पुत्री औंकारलाल जाति रैगर निवासी हाल कटावर तह. अटरू जिला बारां
13. लाडबाई पुत्री औंकारलाल पत्नि नवीन जाति रैगर निवासी रातड़िया तह. अन्ता जिला बारां
14. रामगोपाल पुत्र भीमराज जाति रैगर निवासी पचेलखुर्द हाल निवासी नयापुरा मोहल्ला मांगरोल दरवाजा बारां तह. व जिला बारां
15. रामस्वरूप पुत्र भीमराल जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
16. बद्रीलाल पुत्र भीमराज जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
17. राजेन्द्र पुत्र भीमराज जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
18. लक्ष्मण पुत्र रामनाथ जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
19. प्रहलाद पुत्र रामनाथ जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
20. धन्नीबाई पुत्री रामनाथ पत्नि राधेश्याम रैगर निवासी ... मांगरोल तह. व जिला मांगरोल
21. पुष्पा बेवा रामनाथ जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां (मृतक)
22. चौथमल पुत्र जगन्नाथ जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
23. गोरधन पुत्र जगन्नाथ जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
24. किशनी बेवा जगन्नाथ जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
25. पार्वति बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि राजेन्द्र जाति रैगर निवासी बालाखेड़ा तह. अन्ता

जिला कलक्टर बारां (राज.)

जिला कलक्टर बारां (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:46 IST
Reason: SelfAttested

26. मदनलाल पुत्र राधाकिशन जाति रैगर निवासी पचेल खुर्द तह. अन्ता जिला बारां
27. सुनिता बाई पुत्री केसरी लाल जाति रैगर पत्नि जगदीश हाल निवासी गेंता तहसील इटावा जिला कोटा (राज.)
28. चमेली बाई बेवा केसरी लाल जाति रैगर निवासी पचेल कलां तह. अन्ता जिला बारां
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता

(रेंस्पोडेंटगण)

अपील बनाराजगी इन्तकाल नंबर 247 दिनांक 23.10.2001 प्रशासन गांवो के संग अभियान आदेश तहसीलदार अन्ता फौथी इन्तकाल स्वर्गीय राधाकिशन पुत्र श्री जीवन चर्मकार पचेलखुर्द तह0 अन्ता जिला बारां (राज.)
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री कल्याण सिंह अभिभाषक **(रेस्पो. कम–27 व 28)**

निर्णय दिनांक 21.02.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के दादा व रेस्पो0 कमांक 1 ता 28 के दादा/पिता/ससुर राधाकिशन के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी वर्तमान खाता संख्या 14 पुराना 9 की खसरा नंबर 209 की रकबा 0.72 है. व खसरा नंबर 311 की रकबा 1.85 है. वाके ग्राम पचेलखुर्द तहसील अन्ता में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कंवरलाल पुत्र राधाकिशन हि. 1/6, रामगोपाल, रामकरण, बद्रीलाल, राजेन्द्र पुत्रगण भीमराज, गंगाबाई पुत्री भीमराज, लक्खुबाई बेवा भीमराज हि. 1/6, प्रहलाद, लक्ष्मण पुत्र रामनाथ, धन्नीबाई पुत्री रामनाथ, पुष्पाबाई बेवा रामनाथ हि. 1/6, चौथमल, गोरधन पुत्र जगन्नाथ, पार्वति पुत्री जगन्नाथ, किशनी बाई बेवा जगन्नाथ हि. 1/6, मदनलाल पुत्र राधाकिशन हि. 1/6, सत्यनारायण पुत्र केसरीलाल हि. 1/6 जातिगण चर्मकार निवासीगण देह दर्ज है। मृतक राधाकिशन के सात पुत्र कमशः कंवरलाल, लालूराम, भीमराज, रामनाथ, जगन्नाथ, मदनलाल एवं केसरीलाल थे, जिनमें से लालूराम लाऔलाद फोत हुआ है तथा लालूराम अपीलांट के साथ रहता था। मृतक लालूराम ने ही अपीलांट का शादी विवाह किया तथा अपीलांट उनकी सेवा सुश्रुषा करता था जिससे प्रसन्न होकर अपीलांट के पक्ष में लालूराम ने एक वसीयत दिनांक 15.03.1995 को एक वसीयत नोटेरी से लिखवाकर प्रमाणित करवा दी। मृतक लालूराम अपने जीवनकाल में 1/7 हिस्से की आराजीयात पर काबिज काश्त थे तथा वर्तमान में इस आराजीयात पर अपीलांट काबिज काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात में मृतक राधाकिशन के सभी वारिसान का 1/7–1/7 हक व हिस्सा निहित है। किन्तु रेस्पो. कमांक 1 ता 26 द्वारा गलत सूचना देकर लालूराम को लाऔलाद फोत बताकर प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प काचरी द्वारा उक्त इन्तकाल नंबर 247 दिनांक 23.10.2001 को राधाकिशन के शेष वारिसान में 1/6–1/6 हिस्से पर इन्तकाल तस्दीक करवा किया गया है, जबकि मृतक लालूराम ने अपने 1/7 हिस्से की आराजीयात की वसीयत अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करवायी हुई है। तथा मृतक लालूराम के हक व हिस्से की 1/7 आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट ही काबिज काश्त है। साथ ही अंकित किया कि अपीलांट के पास से असल वसीयत खो गयी है जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना अन्ता में दिनांक 01.08.2013 को रिपोर्ट क्रमांक 105 पर दर्ज करवा दी है, जिसकी फोटो प्रति अपील के साथ पेश की है जो सेकेण्डरी साक्ष्य के रूप में पढी जावे। इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार कर इन्तकाल नंबर 247 दिनांक 23.10.2001 को निरस्त किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात का मृतक राधाकिशन के सभी वारिसान का 1/7–1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा मृतक लालूराम का 1/7 हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 20 एवं 22 ता 26 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 21 फोत होना सम्मन पर अंकित रिपोर्ट अनुसार अवगत हुआ। रेस्पोडेंट क्रम–27 व 28 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर दिनांक 04.09.2019 को प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। नियत तिथि 14.02.2022 को वकील रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के दादा व रेस्पो0 कमांक 1 ता 28 के दादा/पिता/ससुर राधाकिशन के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी ग्राम पचेलखुर्द वर्तमान खाता संख्या 14 पुराना 9 की खसरा नंबर 209 की रकबा 0.72 है. व खसरा नंबर 311 की रकबा 1.85 है. जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कंवरलाल पुत्र राधाकिशन हि. 1/6, रामगोपाल, रामकरण, बद्रीलाल, राजेन्द्र पुत्रगण भीमराज, गंगाबाई पुत्री भीमराज, लक्खुबाई बेवा भीमराज हि. 1/6, प्रहलाद, लक्ष्मण पुत्र रामनाथ, धन्नीबाई पुत्री रामनाथ, पुष्पाबाई बेवा रामनाथ हि. 1/6, चौथमल, गोरधन पुत्र जगन्नाथ, पार्वति पुत्री जगन्नाथ, किशनी बाई बेवा जगन्नाथ हि. 1/6, मदनलाल पुत्र राधाकिशन हि. 1/6, सत्यनारायण पुत्र केसरीलाल हि. 1/6 जातिगण चर्मकार निवासीगण देह दर्ज है। जबकि मृतक राधाकिशन के सात पुत्र क्रमशः कंवरलाल, लालूराम, भीमराज, रामनाथ, जगन्नाथ, मदनलाल एवं केसरीलाल थे, जिनमें से लालूराम लाऔलाद फोत हुआ है तथा लालूराम अपीलांट के साथ रहता था। इस प्रकार उक्त आराजी में मृतक लालूराम का 1/7 हक व हिस्सा था। मृतक लालूराम ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 15.03.1995 को एक वसीयत नोटेरी से लिखवाकर प्रमाणित करवा दी। मृतक लालूराम के हक व हिस्से की 1/7 आराजीयात पर अपने जीवनकाल में लालूराम तथा वर्तमान में अपीलांट काबिज काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात में मृतक राधाकिशन के सभी वारिसान का 1/7–1/7 हक व हिस्सा निहित है। किन्तु रेस्पो. कमांक 1 ता 26 द्वारा गलत [illegible] देकर लालूराम को लाऔलाद फोत बताकर प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प [illegible] द्वारा उक्त इन्तकाल नंबर 247 दिनांक 23.10.2001 को राधाकिशन [illegible] 1/6 हिस्से पर इन्तकाल तस्दीक करवा लिया गया है, जबकि मृतक लालूराम [illegible] 1/7 हिस्से की आराजीयात की वसीयत अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करवायी हुई है। तथा मृतक लालूराम के हक व हिस्से की 1/7 आराजी पर अपीलांट ही काबिज काश्त है। साथ ही कथन किया कि अपीलांट के पास से असल वसीयत आग लगने के कारण जल गयी है, जिसकी फोटो प्रति अपील के साथ पेश की है जो सेकेण्डरी साक्ष्य के रूप में पढी जावे। तथा अपील

जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के पास से असल वसीयत आग लगने के कारण जल गयी है, जिसकी फोटो प्रति अपील के साथ पेश की है जो सेकेण्डरी साक्ष्य के रूप में पढी जावे। तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पचेल खुर्द तहसील अन्ता का नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 23.10.2001 निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजीयात पर मृतक राधाकिशन के सभी वारिसान का 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज करते हुए मृतक लालूराम के 1/7 हिस्से पर अपीलांट का नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार अन्ता को दिया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न छायाप्रति वसीयत जिसे द्वितीय साक्ष्य के रूप में पढे जाने हेतु निवेदन करते हुए अपीलांट ने नामान्तकरण संख्या 247 दिनांक 23.10.2001 को चुनौती दी है। अपीलांट वसीयत के आधार मृतक लालूराम के हक व हिस्से की 1/7 आराजीयात स्वंय के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहता है, परन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत की छायाप्रति अस्पष्ट व अपठनीय है। जिसके अवलोकन से अपीलांट के नाम वसीयत होना साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य पाई जाती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर बाद साक्ष्य अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:46 IST
Reason: SelfAttested